संख्या– 42/2020/866/छप्पन-2020-31/2016(Consultant)

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 17 जुलाई, 2020

विषय: जनपद गौतमबुद्धनगर में जेवर के निकट नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना हेतु मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय ''रनवे की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 या 6 करने के सम्बन्ध में'' वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-97/ए.एफ.-2020-116/2016 दिनांक 10 जून, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर में जेवर के निकट नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन हेतु रनवे की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 से 6 करने के निमित्त कन्सल्टैन्ट से स्टडी कराए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग की अंशधारिता की धनराशि रू0 21.225 लाख (रूपया इक्कीस लाख बाइस हजार पाँच सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रनवे की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 से 6 किए जाने के निमित्त Pricewaterhouse Coopers Pvt. Ltd. को परामर्शदाता के रूप में चयनित किया गया है जिनके द्वारा समस्त तथ्यों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस कार्य हेतु परामर्शदाता को रू0 56.60 लाख फीस पर आबद्ध किया गया है जिसका भुगतान NIAL के सदस्यों द्वारा अपनी अंशधारिता के अनुसार किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा गठित ज्वाईंट वेन्चर कम्पनी Noida International Airport Limited (NIAL) में उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग की अंशधारिता 37.50%, नोएडा अथारिटी 37.50%, ग्रेटर नोएडा अथारिटी 12.50% तथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अंशधारिता 12.50% है। उक्त अंशधारिता के अनुसार Pricewaterhouse Coopers Pvt. Ltd. की फीस रू0 56.60 लाख के सापेक्ष नागरिक उड्डयन विभाग की अंशधारिता 37.50% के अनुसार रू0 21.225 लाख (रूपया इक्कीस लाख बाइस हजार पाँच सौ मात्र) का भुगतान किया जाना होगा।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में जेवर के निकट नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में रनवे की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 से 6 करने के निमित्त कन्सल्टेन्ट से स्टडी कराए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विभाग की अंशधारिता की धनराशि रू0 21.225 लाख (रूपया इक्कीस लाख बाइस हजार पाँच सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ उक्त धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 एवं दिनांक 11 अप्रैल, 2020 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0 (NIAL), गौतमबुद्धनगर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर दी जा रही है। यदि मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0 (NIAL), गौतमबुद्धनगर का होगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 में नहीं रखा जाएग।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 21.225 लाख (रूपया इक्कीस लाख बाइस हजार पाँच सौ मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा आहरित कर तत्काल कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निर्वतन पर रखी जायेगी और कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक ''5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-24-वृहत्त निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-657/दस-2020, दिनांक 16 जुलाई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

संख्या- 42/2020/866(1)/छप्पन-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0 (NIAL), गौतमबुद्धनगर।

4- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

6- विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया), यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, गौतमबुद्धनगर।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1

8- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।

9- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।